



न्यायालय सिविल जज जू०डि०/न्यायिक मजिस्ट्रेट बहेडी, बरेली।

उपस्थित: श्री विजय शंकर गौतम

Judicial Officer Code-UP03454

उ०प्र० न्यायिक सेवा,

CNR No.UPBR180004522017

सरकार	बनाम	प्रताप सिंह आदि
	फौ०वाद सं० 1750/2017	
	मु० अ० सं० 93/2017	
	अन्तर्गत धारा-498 ए,323,504,494 भा० दं० सं०	
	एवं धारा 3/4 डी०पी० एक्ट	
	थाना देवरनियां, जिला बरेली।	

निर्णय

1. थाना देवरनियां, जिला बरेली के मु० अ० सं० 93/2017 से उद्भूत प्रकरण में अभियुक्तगण प्रताप सिंह व दीनानाथ के विरुद्ध धारा 498 ए,323,504,494 भा० दं० सं० एवं धारा 3/4 डी०पी० एक्ट के तहत आरोप पत्र न्यायालय में प्राप्त होने के उपरान्त न्यायालय द्वारा अपराध का प्रसंज्ञान लेकर विचारण कार्यवाही प्रारम्भ हुई।
2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि प्रार्थिनी का विवाह विपक्षी सं० 1 के साथ हिन्दू रीति रिवाज के साथ दिनांक 08.05.2024 को सम्पन्न हुआ था। जिसमें प्रार्थिनी के पिता ने अपनी हैसियत के मुताबिक दान स्वरूप सब कुछ जिसमें अपाची मोटर साईकिल डबल वैड टी०वी०, फ्रिज वर्तन, सन्दूक, अलारी गोदरेज, सोने की अंगूठी कपड़े व 3,00,000/-रुपये नकद शामिल है दिये थे लेकिन विपक्षी सं० 1, 2 व 3 उस दान से सन्तुष्ट नहीं हुए और 3,00,000/-रुपये नकद व कार की मांग करने लगे प्रार्थिनी ने इस मांग को अपने मायके वालों को बताया तो मायके वालों ने 50,000/-रुपये विपक्षीगण सं० 1 लगायत 3 को नकद रूप से दे दिये लेकिन प्रार्थिनी के ससुराल वाले 3,00,000/-रुपये व कार की मांग को पूरा कराने के लिए प्रार्थिनी का शारीरिक एवं मानसिक उत्पीड़न करने लगे विपक्षी सं० 1, 2, 3 लगातार प्रार्थिनी के साथ मारपीट व गाली गलौच करने लगे बीती दिनांक 20.01.2015 को समय करीब 3.00 बजे दोपहर में प्रार्थिनी जब अपना घरेलू काम कर रही थी कि विपक्षीगण सं० 1, 2, 3 हाथों में डण्डे लेकर आ गये और प्रार्थिनी को माँ बहन की गन्दी गन्दी गालियां देते हुए मार पीट कर घर से धक्का देकर बाहर निकाल दिया और बोले हमारी दहेज की मांग पूरी कराके ही वापस आना। प्रार्थिनी काफी देर तक दरवाजे पर ही बैठी रही लेकिन विपक्षीगणों ने दरवाजा नहीं खोला। प्रार्थिनी किसी तरह अपने मायके चली आयी उसी समय से प्रार्थिनी अपने मायके में रहने लगी। अब से करीब आठ माह पूर्व प्रार्थिनी की ससुराल के गाँव में ही रह रही प्रार्थिनी की मौसी शकुन्तला देवी ने प्रार्थिनी को फोन पर बताया कि प्रताप सिंह ने किसी लड़की से कोर्ट मैरिज कर ली है। लेकिन प्रार्थिनी को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ बीती दिनांक 06.02.2016 को प्रार्थिनी के पिता तहसील हल्द्वानी जनपद नैनीताल गये जहां पर उपजिलाधिकारी हल्द्वानी के न्यायालय में प्रताप सिंह विपक्षी सं० 1 के द्वारा की गयी कोर्ट मैरिज की जानकारी हुई। जिसकी नकल लेने पर पता चला कि न्यायालय परगना मजिस्ट्रेट हल्द्वानी जिला नैनीताल प्रमाण पत्र सं० 132

वर्ष 2015 विशेष विवाह अधिनियम, वर-प्रताप सिंह व वधु पूनम देवी दिनांक 30.11.2015 विपक्षीगणों ने एक राय होकर धोखाधड़ी हेराफेरी व जाल साजी कर विपक्षी सं० 1 की विधित पत्नी (प्रार्थिनी) के अस्तित्व में रहते हुए भी विवाह प्रार्थना पत्र व शपथपत्रों आदि की कूट रचना की है और उपजिलाधिकारी हल्द्वानी को गुमराह किया है एवं पहली पत्नी से तलाक लिए बिना दूसरा विवाह कर हिन्दू विवाह अधिनियम की अवमानना कारित की है प्रार्थिनी उसी समय घटना उपरोक्त की रिपोर्ट दर्ज कराने थाना देवरनियां गई लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई तब से प्रार्थिनी लगातार पुलिस अधिकारियों को कई प्रार्थना पत्र प्रेषित/प्रस्तुत कर चुकी है। बीती दिनांक 08.12.2016 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को स्वयं पेश होकर व पंजीकृत डाक द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत व प्रेषित किये लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई अब प्रार्थिनी के पास घटना उपरोक्त की रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु इस प्रार्थना पत्र को श्रीमान जी के समक्ष प्रस्तुत करने के सिवाय अन्य कोई विकल्प शेष नहीं है।

3. वादिनी मुकदमा के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3)दं०प्र०सं० पर इस न्यायालय के आदेश दिनांकित 02.03.2017 द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना का आदेश हुआ जिसे अभियुक्तगण प्रताप सिंह वयस्क, दीनानाथ वयस्क, कुंवर पाल वयस्क, दिनेश कुमार वयस्क, जगदीश वयस्क एवं रविन्द्र सिंह वयस्क के विरुद्ध मु०अ०सं० 93/2017 अन्तर्गत धारा 498 ए,323,504,494 भा०दं०सं० एवं धारा 3/4 डी०पी० एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। प्रस्तुत मामले की विवेचना एस०आई० महेन्द्र सिंह के द्वारा की गयी। विवेचक ने दौरान विवेचना साक्षीगण के बयान अंकित किये तथा घटना स्थल का निरीक्षण करके नक्शा नजरी तैयार किया तथा संपूर्ण साक्ष्य एकत्रित करके अभियुक्तगण प्रताप सिंह व दीनानाथ के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए न्यायालय में अभियुक्तगण प्रताप सिंह व दीनानाथ के विरुद्ध धारा 498 ए,323,504,494 भा०दं०सं० एवं धारा 3/4 डी०पी० एक्ट में आरोप पत्र प्रस्तुत कर उचित दण्ड से दण्डित करने हेतु निवेदन किया गया।

4. आरोप पत्र न्यायालय में प्राप्त होने के उपरान्त अभियुक्तगण प्रताप सिंह व दीनानाथ के विरुद्ध अपराध का प्रसंज्ञान लिया गया तथा अभियुक्तगण को विचारण हेतु आहुत किया गया। अभियुक्तगण प्रताप सिंह व दीनानाथ न्यायालय में उपस्थित आये और अपनी अपनी जमानतें करायी। अभियुक्त प्रताप सिंह पर धारा 498 ए,323,504,494 भा०दं०सं० एवं धारा 3/4 डी०पी० एक्ट व अभियुक्त दीनानाथ पर धारा 498 ए,323,504 भा०दं०सं० एवं धारा 3/4 डी०पी० एक्ट का आरोप दिनांक 27.09.2028 को विरचित किया गया। अभियुक्तगण को आरोप पढ़कर सुनाया गया। अभियुक्तगण द्वारा आरोपों से इंकार किया गया तथा विचारण की मांग की गयी।

5. अभियोजन द्वारा अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोपों को साबित करने के लिए साक्षी पी०डब्लू० 01, श्रीमती मंजू देवी (चक्षुदर्शी साक्ष्य) एवं पी०डब्लू० 02, जगदीश (चक्षुदर्शी साक्ष्य) व पी०डब्लू० 03 श्रीमती अनीता (चक्षुदर्शी साक्ष्य) को परीक्षित कराया गया। अभियोजन को साक्ष्य हेतु पर्याप्त अवसर दिया गया। अभियोजन द्वारा अन्य किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया तथा शेष गवाहों को गवाही से उन्मोचित करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जो स्वीकृत हुआ। दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में अभियोजन की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3)दं०प्र०सं० प्रदर्श क-1, प्रथम सूचना रिपोर्ट, नक्शा नजरी, आरोप पत्र, केस डायरी आदि अभियोजन प्रपत्र प्रस्तुत किया गया। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत अभियोजन प्रपत्रों की प्रमाणिकता को स्वीकार किया गया। अतः अभियोजन साक्ष्य समाप्त हुआ।

6. अभियोजन साक्ष्य समाप्ति के पश्चात् अभियुक्तगण प्रताप सिंह व दीनानाथ का

बयान अन्तर्गत धारा 313 दं0 प्र0 सं0 दिनांक 04.05.2023 को अंकित किया गया। अभियुक्तगण द्वारा घटना को झूठा बताते हुए सफाई साक्ष्य देने से इंकार किया गया।

7. मैंने सहायक अभियोजन अधिकारी एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के विद्वतापूर्ण तर्कों को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण साक्ष्य का सम्यक परिशीलन किया।

8. अभियुक्तगण प्रताप सिंह व दीनानाथ पर आरोप है कि वादिनी मुकदमा श्रीमती मंजू देवी की शादी दिनांक 08.05.2014 को अभियुक्त प्रताप सिंह के साथ हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार हुई थी। वादिनी के विवाह के कुछ समय बाद से ही अभियुक्तगण ने पीड़िता को दहेज के लिए शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। अभियुक्तगण द्वारा पीड़िता के साथ मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की गयी। वादिनी मुकदमा को गालियां देकर अपमानित किया और ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की जिससे शान्ति भंग होने की आशंका हुई एवं आप अभियुक्तगण द्वारा पीड़िता से अतिरिक्त दहेज में तीन लाख रुपये व एक कार लेने की मांग तथा अभियुक्त प्रताप सिंह ने वादिनी मुकदमा के जीवित रहते हुए दूसरा विवाह कर लिया।

9. दाण्डिक विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि अभियोजन को अपने कथानक को युक्ति युक्त संदेह से परे साबित करना होता है।

10. अभियोजन की ओर से अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोपों को साबित करने के लिए साक्षी पी0 डब्लू0 01, श्रीमती मंजू देवी (चक्षुदर्शी साक्ष्य), पी0 डब्लू0 02, जगदीश (चक्षुदर्शी साक्ष्य) व पी0 डब्लू0 03 श्रीमती अनीता (चक्षुदर्शी साक्ष्य) को परीक्षित कराया गया है तथा इसके अतिरिक्त किसी अन्य साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

11. अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी0 डब्लू0 01, श्रीमती मंजू देवी (चक्षुदर्शी साक्ष्य) ने अपने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि, "मेरी शादी दिनांक 08.05.2014 को प्रताप के साथ हुई थी। मेरे माता पिता ने अपनी हैसियत अनुसार दान दहेज दिया था जिससे मेरे ससुरालीजन खुश नहीं थे। मेरा पति प्रताप ससुर दीनानाथ दहेज में 3 लाख रुपये और एक कार की मांग करने लगे। न देने पर मुझे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे तथा मुझे गन्दी गन्दी गालियां देते थे तथा मेरे साथ मारपीट करते थे तथा मेरे प्रताप ने दूसरा विवाह भी कर लिया है मैं थाने देवरनियों में रिपोर्ट लिखाने गयी थी तो मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी गयी। मैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को पंजीकृत डाक से प्रा० पत्र भेजा था उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। मेरी एफ०आई०आर० धारा 156(3) सी०आर०पी०सी० के तहत माननीय न्यायालय को दिये गये लिखित प्रार्थना पत्र पर दर्ज हुई थी। माननीय न्यायालय ने मेरे द्वारा 156(3) सी०आर०पी०सी० के तहत दिया गया प्रार्थनापत्र की छायाप्रति पत्रावली पर मौजूद है। जिस अभियुक्त प्रताप सिंह पर धारा 498 ए,323,504,494 भा० दं० सं० एवं धारा 3/4 डी० पी० एक्ट व अभियुक्त दीनानाथ पर धारा 498 ए,323,504 भा० दं० सं० एवं धारा 3/4 डी० पी० एक्ट पर मेरे हस्ताक्षर हैं जिसकी मैं शिनाख्त करती हूं। जिस पर प्रदर्श क-1 डाला गया है। घटना के सम्बन्ध में दरोगा जी ने मेरे बयान लिये थे।"

12. अभियोजन द्वारा साक्षी पी0 डब्लू0 01, श्रीमती मंजू देवी (चक्षुदर्शी साक्ष्य) से बचाव पक्ष द्वारा जिरह की गयी जिरह में गवाह ने कथन किया कि "मेरी शादी में मेरे माता पिता ने अपनी हैसियत अनुसार दान दहेज दिया था। जिससे मेरे ससुराली जन खुश थे। लोगों के बहकावे में आकर अपने पति प्रताप सिंह व ससुर दोनो के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। अभियुक्तगण ने न तो मुझसे 3 लाख रुपये व एक कार की मांग की थी न ही मुझे शारीरिक व मानसिक रूप से परेशान किया था। न ही मुझे गन्दी गन्दी गालियां देते थे और न ही मेरे साथ कोई मारपीट की थी न ही मेरे पति प्रताप ने दूसरी शादी की

थी। लोगों के बहकावे में आकर मैंने मुल्जिमानों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करायी थी। घटना के सम्बन्ध में दरोगा जी ने मेरा कोई बयान नहीं लिया था। अब हमारा आपस में राजीनामा हो गया है अब कोई विवाद शेष नहीं है।"

13. अभियोजन द्वारा साक्षी पी0डब्लू0 01, श्रीमती मंजू देवी (चक्षुदर्शी साक्ष्य) से पुनः परीक्षा की गयी। पुनः परीक्षा में साक्षी को धारा 161 सी0आर0पी0सी0 का बयान पढ़कर सुनाया गया तो गवाह ने कहा कि, "ऐसा कोई बयान दरोगा जी को नहीं दिया बयान कैसे लिख लिया मुझे नहीं पता। गवाह से पूछा गया कि किन लोगों के बहकावे में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी इस समय मुझे उनके नाम याद नहीं हैं। यह कहना सही है कि दोनों पक्षों में राजीनामा हो गया है लेकिन यह कहना गलत है कि राजीनामा होने के कारण मैं आज न्यायालय में झूठी गवाही दे रही हूँ।"

14. अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी0डब्लू0 02, जगदीश (चक्षुदर्शी साक्ष्य) ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि, "मैंने अपनी पुत्री मन्जू देवी की शादी प्रताप सिंह के साथ वर्ष 2014 में मई महीने में की थी। शादी में मैंने अपनी हैसियत के अनुसार दान दहेज दिया था। जिससे मेरी बेटी के ससुरालीजन खुश थे। मेरे सामने अभियुक्तगण प्रताप सिंह व दीनानाथ ने न तो दहेज में 3 लाख रुपये और एक कारी की मांग की थी न ही शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया था। न ही उसे गन्दी गालियां दी थीं न ही उसके साथ कोई मारपीट की थी मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि अभियुक्त प्रताप सिंह ने दूसरा विवाह कर लिया है मेरी पुत्री ने किन लोगों के बहकावे में आकर रिपोर्ट दर्ज करा दी थी मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है घटना के सम्बन्ध में दरोगा जी ने मेरा कोई बयान नहीं लिया।" इस साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर जिरह की गयी।

15. साक्षी पी0डब्लू0 02, जगदीश (चक्षुदर्शी साक्ष्य) से की गयी जिरह में साक्षी को धारा 161 सी0आर0पी0सी0 का बयान पढ़कर सुनाया गया तो गवाह ने कहा कि, "ऐसा कोई बयान मैंने दरोगा जी को नहीं दिया कैसे लिख लिया मुझे नहीं पता। यह कहना सही है कि दोनों पक्षों में आपस में समझौता हो गया है। लेकिन यह कहना गलत है कि राजीनामा होने के कारण मैं आज झूठी गवाही दे रहा हूँ।"

16. अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी0डब्लू0 03, अनीता देवी (चक्षुदर्शी साक्ष्य) ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि, "मैंने अपनी पुत्री मंजू देवी की शादी वर्ष 2014 में की थी। शादी में हमने अपनी हैसियत के अनुसार दान दहेज दिया था जिससे मन्जू के ससुरालीजन खुश थे। अभियुक्तगण प्रताप सिंह व दीनानाथ ने न तो मेरे सामने कभी दहेज के रूप में कभी 3 लाख रुपये व एक कार की मांग करता था न ही दहेज के लिये शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान करता था न ही गन्दी-गन्दी गालियां देता था और न ही कभी मारा पीटा था। अभियुक्त प्रताप सिंह दूसरी शादी कर ली है इस बात की जानकारी मुझे नहीं है। घटना के सम्बन्ध में दरोगा जी ने मेरा कोई बयान नहीं लिया था।" इस साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर जिरह की गयी।

17. साक्षी पी0डब्लू0 03, अनीता देवी (चक्षुदर्शी साक्ष्य) से की गयी जिरह में साक्षी को धारा 161 सी0आर0पी0सी0 का बयान पढ़कर सुनाया गया तो गवाह ने कहा कि, "ऐसा कोई बयान मैंने दरोगा जी को नहीं दिया कैसे लिख लिया मुझे नहीं पता। यह कहना सही है कि दोनों पक्षों में राजीनामा हो गया है अब कोई विवाद शेष नहीं है लेकिन यह कहना गलत है कि राजीनामा होने के कारण मैं आज झूठी गवाही दे रही हूँ।"

18. इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में साक्षी पी0डब्लू0 01, श्रीमती मंजू देवी (चक्षुदर्शी साक्ष्य) ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि मेरी शादी दिनांक 08.05.2014 को प्रताप के

साथ हुई थी। मेरे माता पिता ने अपनी हैसियत अनुसार दान दहेज दिया था जिससे मेरे ससुरालीजन खुश नहीं थे। मेरा पति प्रताप ससुर दीनानाथ दहेज में 3 लाख रुपये और एक कार की मांग करने लगे। न देने पर मुझे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे तथा मुझे गन्दी गन्दी गालियां देते थे तथा मेरे साथ मारपीट करते थे तथा मेरे प्रताप ने दूसरा विवाह भी कर लिया है। बचाव पक्ष द्वारा इस साक्षी से जिरह की गयी जिरह में इस साक्षी द्वारा कथन किया गया कि मेरी शादी में मेरे माता पिता ने अपनी हैसियत अनुसार दान दहेज दिया था। जिससे मेरे ससुराली जन खुश थे। लोगों के बहकावे में आकर अपने पति प्रताप सिंह व ससुर दोनो के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। अभियुक्तगण ने न तो मुझसे 3 लाख रुपये व एक कार की मांग की थी न ही मुझे शारीरिक व मानसिक रूप से परेशान किया था। न ही मुझे गन्दी गन्दी गालियां देते थे और न ही मेरे साथ कोई मारपीट की थी न ही मेरे पति प्रताप ने दूसरी शादी की थी। लोगों के बहकावे में आकर मैंने मुल्जिमानों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करायी थी। अभियोजन द्वारा इस साक्षी से पुनः परीक्षा की गयी, पुनः परीक्षा में इस साक्षी को धारा 161 सी0 आर0 पी0 सी0 का बयान पढ़कर सुनाये जाने पर कथन किया गया कि ऐसा कोई बयान दरोगा जी को नहीं दिया बयान कैसे लिख लिया मुझे नहीं पता। गवाह से पूछा गया कि किन लोगों के बहकावे में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी इस समय मुझे उनके नाम याद नहीं हैं। इस प्रकार इस साक्षी द्वारा अपने जिरह में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया है। अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी0 डब्लू0 02, जगदीश (चक्षुदर्शी साक्ष्य) ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मैंने अपनी पुत्री मन्जू देवी की शादी प्रताप सिंह के साथ वर्ष 2014 में मई महीने में की थी। शादी में मैंने अपनी हैसियत के अनुसार दान दहेज दिया था। जिससे मेरी बेटी के ससुरालीजन खुश थे। मेरे सामने अभियुक्तगण प्रताप सिंह व दीनानाथ ने न तो दहेज में 3 लाख रुपये और एक कार की मांग की थी न ही शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया था। न ही उसे गन्दी गालियां दी थीं न ही उसके साथ कोई मारपीट की थी मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि अभियुक्त प्रताप सिंह ने दूसरा विवाह कर लिया है मेरी पुत्री ने किन लोगों के बहकावे में आकर रिपोर्ट दर्ज करा दी थी मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है जिरह में साक्षी पी0 डब्लू0 02 को धारा 161 सी0 आर0 पी0 सी0 का बयान पढ़कर सुनाया गया तो गवाह ने कहा कि ऐसा कोई बयान मैंने दरोगा जी को नहीं दिया कैसे लिख लिया मुझे नहीं पता। अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी0 डब्लू0 03, अनीता देवी (चक्षुदर्शी साक्ष्य) ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मैंने अपनी पुत्री मंजू देवी की शादी वर्ष 2014 में की थी। शादी में हमने अपनी हैसियत के अनुसार दान दहेज दिया था जिससे मन्जू के ससुरालीजन खुश थे। अभियुक्तगण प्रताप सिंह व दीनानाथ ने न तो मेरे सामने कभी दहेज के रूप में कभी 3 लाख रुपये व एक कार की मांग करता था न ही दहेज के लिये शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान करता था न ही गन्दी-गन्दी गालियां देता था और न ही कभी मारा पीटा था। अभियुक्त प्रताप सिंह दूसरी शादी कर ली है इस बात की जानकारी मुझे नहीं है। जिरह में साक्षी पी0 डब्लू0 03 को धारा 161 सी0 आर0 पी0 सी0 का बयान पढ़कर सुनाया गया तो गवाह ने कहा कि ऐसा कोई बयान मैंने दरोगा जी को नहीं दिया कैसे लिख लिया मुझे नहीं पता। अभियोजन द्वारा उक्त के अतिरिक्त अन्य किसी गवाह को परीक्षित नहीं कराया गया है तथा उपरोक्त गवाहों की गवाही से अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधिक व्यवस्था **भगवान जगन्नाथ मार्कड बनाम महाराष्ट्र राज्य 2017(1) सुप्रीम कोर्ट 129** में प्रतिपादित सिद्धांत सुसंगत है, जिसमें कहा गया है कि It is acceptable principle of criminal jurisprudence that the

burden of proof is always on the prosecution and the accused is presumed to be innocent unless proved guilty. The prosecution has to prove its case beyond reasonable doubt and the accused is entitled to the benefit of reasonable doubt". प्रस्तुत मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों में तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाये गये आरोप युक्ति युक्त संदेह से परे साबित करने में अभियोजन असफल रहा है। अतः अभियुक्त प्रताप सिंह लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 498 ए, 323, 506, 494 भा0 दं0 सं0 एवं धारा 3/4 डी0 पी0 एक्ट व अभियुक्त दीनानाथ 498 ए, 323, 506 भा0 दं0 सं0 एवं धारा 3/4 डी0 पी0 एक्ट से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

19. फौंवाद सं0 1750/2017, मु0 अ0 सं0 93/2017 अन्तर्गत धारा 498 ए, 323, 504, 494 भा0 दं0 सं0 एवं धारा 3/4 डी0 पी0 एक्ट, थाना देवरनियां, जिला बरेली के मामले में अभियुक्त प्रताप सिंह लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 498 ए, 323, 506, 494 भा0 दं0 सं0 एवं धारा 3/4 डी0 पी0 एक्ट व अभियुक्त दीनानाथ लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 498 ए, 323, 506 भा0 दं0 सं0 एवं धारा 3/4 डी0 पी0 एक्ट से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण जमानत पर हैं। उनके बंधपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभूओं को उनके जमानत दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

20. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 437 ए के अन्तर्गत अभियुक्तगण प्रत्येक को आदेशित किया जाता है कि वह मु0 20,000/-रुपये का नवीन व्यक्तिगत बंध पत्र एवं इसी धनराशि का एक-एक प्रतिभू 6 माह की अवधि के लिए इस आशय का प्रस्तुत करें कि इस निर्णय के विरुद्ध अपील योजित होने पर वे अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे।

दिनांक:-28.03.2024

(विजय शंकर गौतम)

सिविल जज जू०डि०/न्यायिक मजिस्ट्रेट
बहेड़ी, बरेली।

आज यह निर्णय एवं आदेश मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक:-28.03.2024

(विजय शंकर गौतम)

सिविल जज जू०डि०/न्यायिक मजिस्ट्रेट
बहेड़ी, बरेली।